

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-119/2017 परि0...5176

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक 10.10.17

विषय:- M/S- TWASHTRE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S- TWASHTRE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1.	OTTO	CAMB 0211/05.09.2017	E-Rickshaw	Rs. 1,15,000/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-119/2017 परि0.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/S- TWASHTRE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S- TWASHTRE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1.	OTTO	CAMB 0211/05.09.2017	E-Rickshaw	Rs. 1,15,000/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: M/S- TWASHTRE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED., Ram Lakhan Path, Road No-08, Patna -800020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 5176.....

पटना, दिनांक : 20.10.17

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना